न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—47/2019/225 (2019/00047)

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नान्दला, पुलिस थाना, नसीराबाद सदर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. शम्भूसिंह पुत्र केसरसिंह,
2. लालसिंह पुत्र केसरसिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम नान्दला, पुलिस थाना, नसीराबाद सदर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये कार्यालय तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला जयपुर दिनांक 25.9.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 78/2015.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुखदेव चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3

निर्णय

दिनांकः—30.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 25.9.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नान्दला में अवस्थित है जिसका खाता संख्या 758/606, 607 कुल किता 28 रकबा 7.97 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी की भूमियां है । दावाकृत भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नारायणसिंह पुत्र नरभूसिंह राजपूत खातेदार दर्ज है तथा दावाकृत भूमि में प्रार्थी वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर प्रार्थी का ही काबिज काश्त है । परन्तु प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि में हाल खसरा नंबर 148/4227 रकबा 0.10, खसरा नंबर 149 रकबा 0.41 है0, 177 रकबा 025 है0 एवं 178 रकबा 0.64 है0 है0 पर दिनांक 11.9.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अवैध कब्जा करने के आशय से जबरदस्ती बलपूर्वक मौके पर कांटे पटकना शुरू कर दिया और फसल काटने की खुले रूप में धमकी दी । अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को

येनकेन प्रकारेण हड़पना चाहते है जिनको रोकने के लिये व्यादेश ही अंतिम विकल्प है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी को खातेदारी भूमि से महरूम नहीं करे तथा किसी प्रकार का अवैध कब्जा कारित नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा अतिक्रमण नहीं करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 25.9.2018 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम नान्दला अवस्थित भूमि खाता संख्या 758/606, 607 कुल किता 28 रकबा 7.97 है0 आराजियात अपीलांट की खातेदारी भूमियां है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु प्रार्थी की उपरोक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 148/4227 रकबा 0.10, खसरा नंबर 149 रकबा 0.41 है0, 177 रकबा 025 है0 एवं 178 रकबा 0.64 है0 पर दिनांक 11.9.2015 को अप्रार्थीगण ने अवैध कब्जा करने के आशय से जबरदस्ती बलपूर्वक मौके पर कांटे पटकना शुरू कर दिया और फसल काटने की खुले रूप में धमकी दी । अप्रार्थीगण प्रभावशील एवं अधिक संख्या में होने के कारण प्रार्थी की खातेदारी पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा करने के आशय से लड़ाई झगड़ा करते है जबकि अप्रार्थीगण का विवादित आराजियात से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । प्रार्थी/अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में साबित था तथा यदि रेस्पो0 अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति भी अपीलांट को ही होती है किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । बहस में यह भी कथन किया कि खसरा गिरदावरियों से भी अपीलांट के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है तथा विवादित आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 की पुश्तैनी आराजियात नहीं है बल्कि अपीलांट की खातेदारी भूमियां है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के आदेश की प्रति उनके अधिवक्ता ने दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त कर ली थी किन्तु पक्षकार आवश्यक कार्य से बाहर जाने के कारण अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका तथा पक्षकार द्वारा दिनांक 8.2.2019 को अपने अधिवक्ता से मुकदमें की जानकारी करने हेतु संपर्क किया तो आदेश की जानकारी हुईं तत्पश्चात् अपीलांट ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । विवादित आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 की पुश्तैनी आराजियात है एवं पारिवारिक बंटवारे से उक्त आराजियात में अधिक हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज हो गया है । खाता संख्या 758/606, 607 के हाल खसरा नंबर 148/4227 रकबा 0.10 है0, 149 रकबा 041 है0, 177 रकबा 0.25 है0, 178 रकबा 0.64 है0 पर रेस्पोडेंटस अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है

जिसको अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है । यह आराजियात पारिवारिक बंटवारे में रेस्पो0 को प्राप्त हुई थी । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात का राजस्व रिकार्ड में अपीलांट खातेदार काश्तकार है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने से पूर्व विवादित आराजियात पर किस का कब्जा काश्त इस संबंध में उभयपक्ष पक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना साक्ष्य के अप्रार्थीगण/रेस्पो0 का कब्जा काश्त मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 का कब्जा काश्त होना माना है किन्तु कब्जे काश्त के संबंध में दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.9.2018 निरस्त किया जाता है कि तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जे काश्त के संबंध में साक्ष्य प्राप्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर